म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551968, 2551756
CIN NO-UO1119mp1969GC001055

क्र./मुख्या./उद्यान/नर्सरी फल पौध/2026–27/920 दिनांक – 03/7/26

प्रति,

प्रसारण कं. – 01

जिला प्रबंधक (समस्त)

....

विषय– वर्ष 2026–27 एवं आगे की अवधि हेतु **नर्सरी फल पौध (कलमी एवं बीजू)** की क्रय–विक्रय दरों के संबंध में।

संदर्भ– निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 24.04.2026

निगम द्वारा वर्ष 2026–27 एवं आगे की अवधि के लिए **नर्सरी फल पौध (कलमी एवं बीजू)** के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त वित्तीय ऑफर्स एवं समिति के निर्णय के क्रम में निम्नानुसार प्रदायकों की दरों का अनुमोदन किया जाता है :–

क्रं	प्रदायक का नाम
1	**M/s Shubham Aushadhi Ropani** 18, Jayanti Complex, marhatal, Jabalpur, MP- 482001 Email- ambika.patel1969@gmail.com Mobile- 9300112615
2	**M/s Premier India Hi-Tech Plantation** 166, Kurwai Main Expressway, near Union Bank of India, Village Sihora, Tehsil Kurwai, District Vidisha Mobile: 9425436112 E-mail: s.ashutosh91@yahoo.com
3	**M/s Prakash Seeds & Nursery,** Birsa Bus stand, Khadgara, Kantatoli Chowk, Ranchi, Jharkhand- 834001 Email- prakashseeds.2006@gmail.com Mobile- 9431116315
4	**M/s Gouri Nursery (Renu Shrivastava)** Village Dholkhedi, tehsil Vidisha, Dist Vidisha, MP- 464001 Email- prashants3171@gmail.com Mobile- 8889932221

वर्ष 2026–27 एवं आगे की अवधि हेतु जारी रेट कांट्रेक्ट ऑफर निगम की बेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर रिकार्ड में रखा जाए तथा रेट कांट्रेक्ट ऑफर में वर्णित शर्तों एवं कंडिकाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए।

2. उपरोक्तानुसार प्रदायकों के नर्सरी फल पौध (कलमी एवं बीजू) की दरें प्रसारित की जा रही हैं। निगम द्वारा जारी अनुमोदित दरें प्रथम दर प्रसारण से आगामी 03 माह तक प्रभावशील रहेंगी, परन्तु इन दरों की प्रभावशीलता को निगम द्वारा नीवन दर प्रसारण होने तक बढ़ाया जा सकेगा।

......2......

3. **प्रदायगी की शर्तें :–**

3.1 क्रेता विभाग से प्राप्त प्रदायकवार एवं किस्मवार मांग एवं अनुशंसा अनुसार निगम के जिला प्रबंधक प्राप्त मांग/क्रय आदेश मुख्यालय, भोपाल को प्रेषित करेंगे। **निगम मुख्यालय, भोपाल द्वारा सामग्री के प्रदाय आदेश जारी किए जाएगें।** सामग्री की प्रदायगी निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से की जाना आवश्यक होगी।

3.2 विभागीय पोर्टल पर कृषक द्वारा प्रदायक का चयन किया जाना हैं, ऐसी स्थिति में विभाग से मांग प्राप्त होते समय प्रदायक के संबंध में स्थिति आवश्यक रूप से स्पष्ट करा ली जावे।

3.3 प्रदायक को निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। आवश्यकता अनुसार यह समय–सीमा घटाई भी जा सकती है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रदाय आदेश जारी किये जाने के उपरांत आदेश में दी गई निर्धारित अवधि में आदेशित मात्रा, पैकिंग एवं आरसीओ की शर्तों के अनुसार निर्धारित मापदण्ड की गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रदाय किया जाना आवश्यक है।

3.4 निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में क्रेता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी विधिवत् सूचना प्रदायक को दी जावेगी। प्रदायक द्वारा नवीन शेड्यूल के मान से आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नहीं किया जावेगा।

3.5 परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेन्ट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी। इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई प्रदायक द्वारा ही पूरी की जाना होगी।

3.6 आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुँचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी।

3.7 प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी :–

क्रं	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	0.25% प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	0.50% प्रति सप्ताह
3	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए अनुबंध को निरस्त किये जाने एवं निगम के माध्यम से आगामी 01 से 05 वर्षों तक व्यवसाय हेतु प्रतिबंधित किया जा सकता है, प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी रहेगा।

.....3......

3.8 सामग्री की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रदायक द्वारा शिकायत का निराकरण किया जाएगा। उचित गुणवत्ता की सामग्री का प्रदाय नहीं किये जाने पर क्रयकर्ता/उपयोगकर्ता को हुई हानि की भरपाई किये जाने का उत्तरदायित्व प्रदायक का रहेगा।

3.9 गुणवत्ता मानक स्तर की नहीं होने या प्रदाय में अन्य किसी भी प्रकार की विसंगति के चलते क्रेता/उपयोगकर्ता द्वारा निगम के विरूद्ध किसी भी प्रकार की न्यायालयीन /उपभोक्ता फोरम आदि में कार्यवाही की जाती है, तो ऐसी कार्यवाही के क्रम में निगम द्वारा किये जाने वाले व्यय तथा सक्षम न्यायालय द्वारा संबंधित क्रेता को किसी प्रकार की डिक्री अरोपित की जाती है, तो उसकी भरपाई प्रदायक को की जाना होगी/प्रदायक को देय भुगतान में से निगम राशि का समायोजन कर सकेगा।

3.10 बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के कोई भी सामग्री का प्रदाय नहीं किया जावे। प्रदायक द्वारा किसी सामग्री का प्रदाय बिना निगम आदेश के क्रेता विभाग को किया जाता है, तो प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी। ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये निगम जिम्मेदार नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में बिना आदेश के प्रदाय की गई सामग्री को मान्य करने का निर्णय प्रबंध संचालक ले सकेंगें।

4. <u>**कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :-**</u>

आदेशानुसार प्रदायक द्वारा निर्धारित मापदण्ड/समय-सीमा में सामग्री का प्रदाय किया जाना आवश्यक है। यदि निर्धारित मापदण्ड/समय-सीमा में सामग्री का प्रदाय नहीं होने के आधार पर कन्सानइमेंट अस्वीकृत किया जाता है, तो उसे प्रदायक को स्वयं के व्यय पर निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नही रहेगा ।

5. <u>**भुगतान :-**</u>

जिला प्रबंधक द्वारा "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त अनुसार प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :-

(अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार क्रेता विभाग से निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (प्राप्तकर्ता विभाग, निगम के अधिकारीयों एवं प्रदायक के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त) प्राप्त होने एवं निगम द्वारा जारी देयक की राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 07 दिवस में किया जावेगा।

(ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग से निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग/कृषक तथा निगम के अधिकारियों की संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सामान्यतः 07 दिवस में किया जावेगा।

......4......

(स) यदि संबंधित विभाग द्वारा 180 दिवस की समय–सीमा में संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है, व प्रदायित सामग्री के संदर्भ में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है एवं निगम को पूर्ण राशि भी प्राप्त हो चुकी हो तो निगम संबंधित विभाग को सूचित करते हुये शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित प्रदायक को कर सकेगा।

6. प्रदायकर्ता द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की हैं वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है । निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य शासकीय विभागों/संस्थाओं/उपक्रम या व्यक्ति को प्रदाय किए जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है, तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किए गए अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी । साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेंगे ।

7. यह दरें निगम के माध्यम से व्यवसाय किये जाने के लिए प्रसारित की जा रही हैं। इन प्रसारित दरों के अन्य किसी प्रयोजन के लिए अनुमोदित दर न माना जाए। यदि किसी भी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर सीधे प्रदायकों से क्रय किया जाता है तो उसके लिए निगम किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।

प्रदायगी की शेष शर्तें रेट कांट्रेक्ट ऑफर में वर्णित शर्तों एवं अनुबंध के अनुसार रहेंगी । इस प्रसारण के उपरांत नर्सरी फल पौध (कलमी एवं बीजू) की पूर्व में प्रसारित दरें स्वतः निरस्त मानी जावेंगी।

<u>प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित</u>

उप प्रबंधक (उद्यान)

प्रतिलिपि :– 921 / 03-7-26

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. निज सचिव, संचालक, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल।
4. निज सचिव, मुख्य वन संरक्षक/अनुसंधान एवं विस्तार, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. निज सचिव, आयुक्त, रेशम संचालनालय, भू–तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (समस्त)।
7. उप संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (समस्त)।
8. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. मेसर्स...की ओर सूचनार्थ।
10. mpfsts.helpdesk@mp.gov.in की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप प्रबंधक (उद्यान)

म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551968, 2551756
CIN NO-UO1119mp1969GC001055

M/s Shubham Aushadhi Ropani
18, Jayanti Complex, marhatal,
Jabalpur, MP- 482001
Email- ambika.patel1969@gmail.com
Mobile- 9300112615

क्रं	फलपौध	प्रजाति	दर राशि रू प्रति पौधा समस्त कर एवं ब्लाक हेडक्वाटर तक परिवहन व्यय सहित (FOR)
1	Mango	Dussehri, Amrapali, kesar, Malika	53.00
2	Guava	L-49, Lalit	25.00
3	Orange	Nagpuri	33.88
4	Aonla	NA-7, Chakaiya	48.00
5	Custard Apple	NMK Golden-1, Golden Balanagar	25.00
6	Cheeku Grafted	Cricketball	60.00
7	Anar	Bhagwa	42.00
8	Kathal	Gooti	20.00
9	Nimbu	Kaagzi	20.39
10	Beeju Plants	(all plants)	15.00

उप प्रबंधक (उद्यान)

म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551967, 2551756
CIN NO-UO1119mp1969GC001055

M/s Premier India Hi-Tech Plantation
166, Kurwai Main Expressway, near Union Bank of India,
Village Sihora, Tehsil Kurwai, District Vidisha
Mobile: 9425436112
E-mail: s.ashutosh91@yahoo.com

क्रं	फलपौध	प्रजाति	दर राशि रू प्रति पौधा समस्त कर एवं ब्लाक हेडक्वाटर तक परिवहन व्यय सहित (FOR)
1	Mango	Amrapali, Dusschri, Ambika, Arunika	53.00
2	Guava	L-49, Allahbad Safeda, Lalit, Shweta	25.00
3	Aonla	NA-7, NA-5	48.00
4	lemon	Kaagzi, Pramalini	20.39
5	Orange	Nagpur, PAU Kinnow-1, Valcenia Late	33.88
6	Masumbi	Sweet Lime	42.00
7	Ber	Gola, Umran Sev, Green Apple, Red Apple	42.00
8	Anar	Bhagwa	42.00
9	Sapota	Cricketball	60.00
10	Dragon fruit	Pink to Pink, Pink to White	33.00
11	Beeju Plants	(all plants)	15.00

उप प्रबधक (उद्यान)

म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551967, 2551756
CIN NO-UO1119mp1969GC001055

M P AGRO

M/s Prakash Seeds & Nursery,
Birsa Bus stand, Khadgara, Kantatoli Chowk,
Ranchi, Jharkhand- 834001
Email- prakashseeds.2006@gmail.com
Mobile- 9431116315

क्रं	फलपौध	प्रजाति	दर राशि रू प्रति पौधा समस्त कर एवं ब्लाक हेडक्वाटर तक परिवहन व्यय सहित (FOR)
1	Mango	Amrapali, Mallika, Langra, Himsagar, Bombay Green	53.00
2	Guava	Allahbad Safeda	25.00
3	Beeju Plants	(all plants)	15.00

उप प्रबंधक (उद्यान)

म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551967, 2551756
CIN NO-UO1119mp1969GC001055

M P AGRO

M/s Gouri Nursery (Renu Shrivastava)
Village Dholkhedi, tehsil Vidisha,
Dist Vidisha, MP- 464001
Email- prashants3171@gmail.com
Mobile- 8889932221

क्रं	फलपौध	प्रजाति	दर राशि रू प्रति पौधा समस्त कर एवं ब्लाक हेडक्वाटर तक परिवहन व्यय सहित (**FOR**)
1	Mango	(all local varieties)	53.00
2	Aonla		48.00
3	Amrud		25.00
4	Nimbu		20.39
5	Mosambi		42.00
6	Orange		33.88
7	Anar		42.00
8	Beeju Plants	(all plants)	15.00

उप प्रबंधक (उद्यान)

प्रपत्र –1

पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान .... का आदेश कमांक ....

दिनांक ....

योजना का नाम.......................................

घटक का नाम ....

वर्ष ....

निगम मुख्यालय, भोपाल के आदेश कमांक ....दिनांक ....के कम में प्रदायक मेसर्स ....द्वारा चालान/देयक कं....... .... दिनांक .... से निम्नानुसार **नर्सरी फल पौध (ग्राफटेड एवं बीजू)** का प्रदाय किया गया है।

कं.	**फल पौध का नाम**	**किस्म**	**प्रदायक का चालान कं. /दिनांक**	**प्राप्त मात्रा**	**सामग्री की गुणवत्ता**
1					
2					

उपरोक्तानुसार प्राप्त सामग्री का भौतिक सत्यापन आज दिनांक .... को संबंधित कयकर्ता विभाग के सक्षम अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से किया गया। प्रदाय सामग्री सही हालत में प्राप्त हुई है, एवं निगम मुख्यालय द्वारा जारी दर अनुमोदन पत्र/आरसीओ की शर्तो एवं निर्धारित स्पेशिफिकेशन अनुसार है, जिसे हितग्राहियों को वितरित करने की अनुशंसा की जाती है।

उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान
(सील मुद्रा सहित)

जिला प्रबंधक
एम.पी.एग्रो
(सील मुद्रा सहित)

प्रदायक के हस्ताक्षर
(सील मुद्रा सहित)

प्रपत्र –2

कार्यालय उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान

जिला ....

क्रमांक .... दिनांक ....

संतुष्टी रिपोर्ट

उप संचालक/सहा0 संचालक .... का आदेश क्र0/दिनांक ....

योजना का नाम.......................................

घटक का नाम ....

वर्ष ....

जिला प्रबंधक, एम पी स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज द्वारा चालान/देयक क्र0 .... दिनांक ....से (सामग्री का नाम).. कुल मात्रा....................................... राशि रु....................................... का प्रदाय किया गया है ।

उपरोक्तानुसार प्रदाय किये गये **नर्सरी फल पौध (ग्राफटेड एवं बीजू)** निगम मुख्यालय द्वारा जारी दर अनुमोदन पत्र/आरसीओ की शर्तो एवं निर्धारित स्पेशिफिकेशन अनुसार है, तथा प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में फील्ड से इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

उप संचालक/सहा0 संचालक उद्यान

....

(सील मुद्रा सहित)